रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032022-234172 CG-DL-E-14032022-234172

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192] No. 192] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 2022/फाल्गुन 23, 1943 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 2022/PHALGUNA 23, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2022

सा.का.नि. 195(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रेल (चालित लाइनें) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का नाम भारतीय रेल (चालित लाइनें) साधारण (प्रथम संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा।
 - (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय रेल (चालित लाइनें) साधारण नियम, 1976 के नियम 4.35 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - "4.35. गाड़ियों का प्रस्थान .- (1) लोको पायलट प्रस्थान प्राधिकार के बिना स्टेशन से अपनी गाड़ी नहीं चलाएगा। गाड़ी के प्रस्थान से पहले, वह इस बात का समाधान करेगा कि सभी सही स्थावर सिगनल और, जहां आवश्यक है, वहां हैंड सिगनल दे दिए गए हैं और उसके सामने, लाइन पर कोई प्रत्यक्ष अवरोध नहीं है तथा गार्ड ने प्रस्थान के लिए सिगनल दे दिया है। गार्ड, प्रस्थान सिगनल देने से पहले, यह देख लेगा कि गाड़ी को आगे चलाने के लिए सब कुछ ठीक है।

1733 GI/2022 (1)

- (2) स्टेशन मास्टर और गार्ड को विशेष अनुदेशों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति से संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई भी भूमिका या ड्यूटी सौंपी जा सकती है।
- (3) गार्ड, गाड़ी के प्रस्थान के लिए सिगनल तब तक नहीं देगा जब तक इस बात का समाधान नहीं हो जाता कि विशेष अनुदेशों के अनुसार के सिवाय, कोई व्यक्ति किसी ऐसे डिब्बे या वाहन या वाहन की छत पर यात्रा नहीं कर रहा है, जो यात्रियों के प्रयोग के लिए नियत नहीं है।
- (4) उप नियम (3) के विपरीत किसी यात्रा के मामले में, गार्ड, लोको पायलट या सहायक लोको पायलट, यदि आवश्यक हो, किसी डिब्बे या वाहन या वाहन की छत से किसी अनधिकृत व्यक्ति को हटाने के लिए राजकीय रेल पुलिस, रेल सुरक्षा बल और स्टेशन कर्मचारियों से सहायता लेगा।"

[फा. नं. 2020/सेफ्टी (ए एंड आर)/19/17]

एस. के. महांति, सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)

तथा पदेन सचिव

टिप्पणी.- मूल नियम संख्यांक सा.का.नि. 445(अ) तारीख 21 जुलाई, 1981 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 157 (अ) तारीख 8 मार्च, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2022

- **G.S.R. 195(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 60, read with section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (First Amendment) Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, for rule 4.35 the following rule shall be substituted, namely:-
 - **"4.35. Starting of trains.-** (1) A Loco Pilot shall not start his train from a station without the authority to proceed. Before starting the train, he shall satisfy himself that all correct fixed signals and, where necessary, hand signals are given and the line before him, is clear of visible obstructions and the Guard has given the signal to start. Guard shall see, before giving the starting signal, that all is right for the train to proceed.
 - (2) The Station Master and Guard may be assigned any role or duty to ensure the safety in the manner as specified by special instructions.
 - (3) The Guard shall not give the signal for starting unless he has satisfied himself that, except in accordance with special instructions, no person is travelling in any compartment or vehicle or roof of the vehicle not intended for the use of passengers.
 - (4) In case of any travelling in contradiction to Sub-rule (3), the Guard, Loco Pilot or Assistant Loco Pilot shall take help, if necessary from Government Railway Police, Railway Protection Force and Station Staff to remove the unauthorised person from the compartment or vehicle or roof of the vehicle."

[F. No. 2020/Safety(A&R)/19/17] S.K. MOHANTY, Member (O & BD) and Ex-Officio Secretary